

राजस्थान-सरकार
न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी, देशल दान, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-12 / 2026

जी.सी.एम.एस. :-2026 / 12

दायर दिनांक :-10.03.2026

फैसल दिनांक :-15.04.2026

श्री सरकार वजरिए भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री जीवा पिता नाना भील
 2. श्री रागा पिता नाना भील
 3. श्री चेतन पिता नाना भील
- निवासीयान:-गडामालजी तहसील-डूंगरपुर

विपक्षीगण

उपस्थित :-



भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर -प्रार्थी
श्री हितेन्द्र पटेल, अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4)
राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

--: निर्णय ::--

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि मौझा गडामालजी के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.16 हेक्टेयर भूमि विपक्षी को उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश क्रमांक :-राजस्व/भू.अ./1903-5 दिनांक 13.01.2022 द्वारा आवंटित की गई थी। विपक्षी को आवंटन हुये 3 वर्ष से अधिक समय होने पर भी शर्तों की पालना नहीं कि गई एवं न ही मौका पर आदिनांक तक कब्जा किया गया। विपक्षी आवंटनी द्वारा आवंटन नियम 14 (3) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त आदेश द्वारा आवंटित की गई भूमि के आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर विपक्षीगण को जरिए नोटिस जवाब देही तलब किया गया। विपक्षी अधिवक्ता कि ओर से अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि विपक्षी को खसरा नम्बर 1 रकबा 0.16 हेक्टेयर भूमि जिसका हाल खसरा नम्बर 1018/1 मे से 1.16 हेक्टेयर भूमि जरिये मिसल नम्बर 543 दिनांक 13.01.2022 को आवंटित हुई है। विपक्षीगण उक्त जमीन पर काबीज काशत है। उक्त जमीन के आवंटन के बाद विपक्षीगण ने उक्त जमीन के चारो ओर बाउण्ड्रीवाल थूहर की बाड लगा कर काविज होकर काशत कर रहे है तथा जिस दिन पर्चा मौका बनाया गया उस समय न तो विपक्षी को उक्त आवंटन के कब्जे की सुपुर्दगी की सूचना दी गई तथा न ही आवंटित जमीन के पर्चा मौके की सूचना दी गई। पर्चा मौके के समय कौन उपस्थित था किसकी मौजूदगी मे पर्चा मौका बनाया गया, इसके बारे मे कोई जानकारी है तथा महज पंचायत खेमरु के द्वारा बिना किसी विधिक जाच के बिना सुचना के पर्चा मौका बनाया जाकर आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया गया है, जो कि बेबुनियाद है तथा कोई विधिक आधार नही है। जबकि विपक्षी के कब्जे की मौके पर विधिवत जांच कर आवंटन किया गया है तथा कब्जा सुपुर्दगी के पूर्व से विपक्षीगण उक्त आवंटित शुदा जमीन पर काविज होकर काशत कर रहे हैं तथा पंचायत के द्वारा बिना किसी आधार के तथा किसी की उपस्थिति में कब्जा काशत नहीं होने का पर्चा मौका बनाया गया यह काफी संदेहजनक है जबकि जवाब पत्र के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ जिसमें विपक्षीगण के द्वारा काशत की गई जमीन का कब्जा एवं मौके मौके पर थूहर की बाड होना कब्जा एवं काशत को स्पष्ट दर्शाता है तथा मौका पर्चा पर कोई दिनांक अंकित नहीं है तथा किस दिनांक को मौके पर पंचायत खेमरु के प्रतिनिधि मौके पर पहुँचे कोई स्पष्ट नहीं है तथा विपक्षीगण को कब्जा सुपुर्दगी बाबत कोई सूचना दी गई हो स्पष्ट नहीं है। महज आवंटनी हस्ताक्षर हेतु मौके पर नहीं मिला के आधार पर प्रार्थना पत्र में आवंटन के निरस्त किये जाने का आधार


जिला कलक्टर
डूंगरपुर

नहीं हो सकता है जबकि विपक्षीगण को किसी प्रकार से सूचना ही नहीं दी गई है तथा मौके पर किसी प्रकार से कोई कब्जा बाबत तस्दीक प्राप्त नहीं की गई है जबकि मौके पर विपक्षीगण ही काबिज होकर कास्त कर रहे हैं जिसकी पटवारी हल्का से मौके की पुनः रिपोर्ट तलब करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा एकतरफा मौके पर्चा रिपोर्ट बिना विपक्षीगण की सूचना पर्चा मौका बनाया गया। जबकि विपक्षीगण को सूचना दिया जाकर मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति एवं विपक्षीगण के कब्जे के बारे में विपक्षी की मौजूदगी में पर्चा मौका बनाया जाकर वर्तमान भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है अन्यथा विपक्षीगण न्याय पाने से वंचित होंगे तथा न्याय का हनन होगा तथा विपक्षीगण के द्वारा मौके की आवंटित शुदा जमीन पर काबिज होकर कास्त कर रहे हैं तथा पर्चा मौके में जो विपक्षी की अनुपस्थिति के आधार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाने के आदेश फरमावे।

उभयपक्षों की बहस समाप्त की गई। विपक्षी कि ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया की उक्त आवंटन के पूर्व से विपक्षी का ही आवंटित शुदा जमीन पर कब्जा है। कोई नोटिस सुनवाई नहीं की गई गैर खातेदारी दर्ज नहीं है। विभाग के स्तर पर कार्यवाही का अभाव में कास्तकार के विरुद्ध आवंटन निरस्त करना न्यायहित में नहीं है।

मेरे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया जाने पर पाया कि भूमिधारी ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं होने से कब्जा नहीं होने से आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी ने जवाब में उल्लेख किया है कि वह काबिज है उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है। बहस के अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया है कि कब्जा सुपुदगी नहीं दी गई। सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत सही आवंटन किया गया है। सभी शर्तों की पालना की गई है। मौके के फोटोग्राफ भी संलग्न किये हैं। आवंटन आदेश, प्रार्थना पत्र जवाब तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य तथा पर्चा मौका का अवलोकन किया। पर्चा मौका में उल्लेख है कि जिस वक्त कब्जा सुपुदगी हेतु खसरा नम्बर 1 रकबा 0.16 हेक्टेयर भूमि पर पहुँची। मौके पर प्रार्थी एवं उपस्थितों ने विपक्षी का कब्जा नहीं होना बताया गया। साथ में संलग्न जमाबंदी, खसरा नक्शा का अवलोकन किया तीनो पर एक ही पटवारी के हस्ताक्षर हैं। कब्जा सुपुदगी में विराधाभास उजागर होता है। प्रार्थी को उपस्थित/अनुपस्थित होना बताया गया है। उपस्थितों का जिक्र है परन्तु किसी के हस्ताक्षर नहीं है। कोई बयान अथवा फोटोग्राफ संलग्न नहीं है। जिससे साबित हो कि मौके पर जमीन खाली है। और काबिज नहीं है। अप्रार्थीगण को सूचित किया गया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। आवंटन नियमों के अनुसार परीक्षण उपरांत सलाहकार समिति के परामर्श से उपखण्ड अधिकारी, आवंटन करेगा। उल्लेखनीय है कि पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर ही आवंटन होता है। तहसीलदार सलाहकार समिति का सदस्य भी है। आवंटन के तुरन्त बाद कब्जा सुपुदगी फर्द बनाकर अप्रार्थीगण को गैरखातेदार दर्ज किया जाना था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। प्रार्थी एवं विभाग द्वारा नियमों की पालना में शिथिलता बरतना प्रतित होता है, और उसकी सजा आवंटी को देना न्यायोचित नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970, खारिज किया जाता है। संबधित तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि आवंटन आदेश क्रमांक :-राजस्व/भू.अ./1903-5 दिनांक 13.01.2022 की पालना में विपक्षीगण को आवंटन खसरा नं. 1 रकबा 0.16 हेक्टेयर भूमि का नियमानुसार नामान्तरण दर्ज की अग्रिम कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फौसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।


(देशल दान),
जिला कलक्टर,
झुंजरपुर

